7 ई (8)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक 1055/10 अधि0प्राप्ति/2011 दिनांक : 27/08/2011

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनाँक 01/03/2011 से लागू किए गए केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स में विभिन्न मदों की दरों के निर्धारण में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के समाधान हेतु दिनाँक 17/08/2011 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में समस्त तकनीकी विभागों के मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष/अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं की बैठक आहूत की गयी थी।

बैठक में विकास खण्ड स्तर पर तैयार किये गये केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स में दरों के निर्धारण के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु पैदल दूरी को भी समायोजित कर चार जोन तथा प्रत्येक जोन पर इन्डेक्स (वृद्धि दर) पर चर्चा हुयी। बैठक में तकनीकी विभागों के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आगणन गठित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में रोड हेड से दूरी के आधार पर निम्नानुसार जोन निर्धारित किए जाते हैं:–

क्रम संख्या	जोन संख्या	प्रत्येक विकासखण्ड में मोटर रोड हेड से दूरी
1	एक	रोड हेड से 1 कि0मी0 से अधिक तथा 5 कि0मी0 तक पैदल दूरी
2	दो	रोड हेड से 5 कि0मी0 से अधिक तथा 10 किमी0 तक पैदल दूरी
3	तीन	रोड हेड से 10 कि0मी0 से अधिक तथा 20 किमी0 तक पैदल दूरी
4	चार (Extra Ordinary Zone)	रोड हेड से 20 कि0मी0 से अधिक पैदल दूरी /Snow Bound Area /2500 मी0 से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र

भविष्य में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश करते हुए आगणन गठित किया जाये : –

अ. किसी भी विकासखण्ड में रोड हेड से 1 किमी0 तक की सीमा तक वर्तमान केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरें ही लागू होगी।

ब. जिन मदों में सामग्री (Material resources) का कोई अंश नहीं है, उनमें Zone wise index देय नहीं होगा तथा वर्तमान केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरें ही लागू रहेगी। यथा–मिट्टी का कार्य, पहाड़ कटान, स्लिप सफाई इत्यादि।

स. Dry stone masonry / Dry Stone खड़ण्जा/Hand Packed Stone Filling इत्यादि मदों में भी कोई इन्डेक्स देय नहीं होगा तथा वर्तमान केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरें ही लागू होंगी।

द. जोन चार (Extra Ordinary Zone) के निर्धारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य जोनों के निर्धारण हेतु अधिशासी अभियन्ता का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

प्रत्येक जोन हेतु इन्डेक्स (वृद्धि दर) निम्न प्रकार देय होगा :–

क्रम संख्या	जोन संख्या	देय वृद्धि दर / Index	
		स्टोन मैसनरी इन सीमेन्ट सैन्ड मोर्टार हेतु	उपरोक्त क्रम संख्या ब एंव स पर अंकित मदों एंव कॉलम सं0 3 पर अंकित मदों के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु
1	2	3	4
1	एक	1.50 प्रतिशत	7.50 प्रतिशत
2	दो	2.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत
3	तीन	3.00 प्रतिशत	15.00 प्रतिशत
4	चार	4.00 प्रतिशत	20.00 प्रतिशत

उक्त आदेश दिनॉक 01 सितम्बर, 2011 से प्रभावी होंगे।

(ललित मोहन)
मुख्य अभियन्ता स्तर –1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढवाल/कुमॉयू क्षेत्र, पौड़ी /नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता गढवाल /कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रण सेवा, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून/उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, देहरादून।
12. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, देहरादून।
13. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
15. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम/द्वितीय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर –1 लो0नि0वि0 देहरादून।
16. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर –1, लो0नि0वि0, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर –1

To be uploaded in the website